**Seventeenth Loksabha**

an>

Title: Need to provide pucca houses to people living on Government land in Mumbai -laid.

***m01**

**श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण):** केन्द्र सरकार की जमीन पर स्थित पुरानी अधिकृत इमारतों और झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वाले निवासी नागरिकों को पक्का घर देकर उनका जीवन सुरक्षित करने के लिए केन्द्र सरकार को सर्व समावेशक योजना बनाने की आवश्यकता है। मुंबई में आज हजारों पुरानी इमारतें हैं। कुछ इमारतें तो 100 साल से ज्यादा समय से पुरानी हैं। केन्द्र सरकार के रेल सुरक्षा, बीएआरसी, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, एनटीसी, एल आई.सी. जैसे सरकारी और सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों की जमीन पर कई निजी अधिकृत पुरानी इमारतें खड़ी हैं, जो कभी भी ढह सकती हैं। उनको राहत देने की बजाय बीपीटी जैसे ट्रस्ट उनसे ऊँची रकम लीज की मांगते हैं। अगर इतनी रकम मालिक को भरनी पड़ी तो वह किरायेदार से ही वसूल करेगा और किरायेदार इतना ऊंचा किराया नहीं दे सकता। इस कारण बीपीटी उन्हें घर से निष्कासित करती है। यह अमानवीय कृत्य आज भी हो रहा है मुंबई में वरली, करी रोड, नायगांव और शिवडी में बी. डी. डी. चाल के कलस्टर हैं।

महाराष्ट्र की सरकार ने इनके पुनर्विकास की योजना बनाई और काम भी शुरू हुआ। लेकिन शिवडी स्थित बी. डी. डी. चाल कलस्टर का काम. बी. पी. टी. यानि केंद्र सरकार की अनुमति न मिलने के कारण आज तक शुरू नहीं हुआ। दूसरी तरफ एनटीसी की जमीन पर मिल मजदूरों के लिए बनायी गयी निवासी इमारतें अब गिरने को हैं। इंडिया युनाइटेड मिल आज बेची गई है, ऐसा लग रहा है । सरकार ने एक निजी ग्रुप से जॉइंट वेंचर किया है। इतनी बड़ी मिल की जमीन के वह मालिक बने है। न ये ग्रुप, न एनटीसी उनकी जमीन पर खड़ी इस पांच मंजिल इमारत की मरम्मत करते है और न ही उसे विकसित करते है। जाम मिल, दिग्विजय मिल ऐसी अन्य मिलों की जमीन पर खड़ी निवासी इमारतों की हालत भी बहुत बुरी है। यही हालत मुंबई, गिरगांव के बदाम वाड़ी में एलआईसी की मालिकाना इमारतें, जो एलआईसी ने बनायी नहीं, लेकिन किसी तकनीकी और कानून के कारण एलआईसी को मालिकाना हक मिला। आज ये इमारतें 100 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। हाल ही में

महापालिका ने उन्हें असुरक्षित घोषित किया है और सबसे ज्यादा तादाद में केन्द्र सरकार की जमीन पर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लाखों गरीब लोगों को पक्का घर कब मिलेगा, यह भी पता नहीं है। महाराष्ट्र राज्य सरकार की "झोंपड़ी पट्टी पुनर्विकास योजना" इन्हें लागू नहीं होती। दूसरी तरफ कमजोर इमारतों के लिए महाराष्ट्र सरकार की पुनर्विकास योजना भी उन पर लागू नहीं होती। हर बारिश के बाद पुरानी इमारतें गिर रही है, लोगों की मृत्यु हो रही है, फिर भी हमारी आँखें खुल नहीं रही हैं। अगर सरकार का पक्के घरों का वादा पूरा नहीं होगा तो मुम्बई में लोगों के जीवन में कभी बदलाव नहीं आयेगा मै सरकार से निवेदन एवं अपेक्षा करता हूँ कि सरकार मुंबई में केन्द्र सरकार की जमीन पर रहने वाले कनिष्ठ, मध्यम वर्गीय और गरीब लोगों को पक्का घर देने का वादा नीति और कानून बनाकर शीघ्र पूरा करे।